संख्या- 4/2026/233/27-11-2026-27-11002(002)/2/2026

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रशासक
ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र
विकास प्राधिकारी/परियोजना, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-11 लखनऊः दिनांक 15-09-2026

विषयः मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (M-CADWM) योजना अन्तर्गत जनपद-संतकबीर नगर के प्रजापतिपुर क्लस्टर हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-67/लेखा/एम0कैड0/बजट आवंटन/2026-27 दिनांक 17.08.2026 एवं पत्रांक- 66/लेखा/एम0कैड0/बजट आवंटन/2026-27 दिनांक 16.07.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (M-CADWM) योजना अन्तर्गत जनपद-संतकबीर नगर के प्रजापतिपुर क्लस्टर हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के लेखाशीर्षक-2705-कमाण्ड क्षेत्र विकास-800-800-अन्य व्यय-01--केन्द्र परियोजित योजनाएं के अन्तर्गत "0104-मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (M-CADWM) योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)" अर्थात लेखाशीर्षक-2705008000104 के मद सं0-27 में प्राविधानित रू0 4267.00 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश रू0 148.76 लाख एवं राज्यांश रू0 99.17 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 247.93 लाख **(रूपया दो करोड़ सैतालीस लाख तिरानवे हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या दिनांक 18.05.2026 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किये जाने का दायित्व अध्यक्ष एवं प्रशासक, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी/ परियोजना, लखनऊ का होगा।

(3) आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व अध्यक्ष एवं प्रशासक, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी/ परियोजना, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह अध्यक्ष एवं प्रशासक, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी/ परियोजना, लखनऊ का दायित्व होगा।

(5) वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व अध्यक्ष एवं प्रशासक, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी/ परियोजना, लखनऊ के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यत: सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(6) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अध्यक्ष एवं प्रशासक, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी/ परियोजना, लखनऊ द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(10) इस योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, नई दिल्ली के आदेश संख्या-N-69011/3/2025-BM-Section-MoWR_Part(1), दिनांक 15.05.2026 में निहित शर्तों/गाइड लाइन्स तथा SNA SPARSH से सम्बन्धित भारत सरकार व वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के अन्य सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी अध्यक्ष एवं प्रशासक, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी/ परियोजना, लखनऊ की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(13) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए/डिपाजिट खाते में न रखी जायेगी।

(14) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(16) अध्यक्ष एवं प्रशासक, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी/ परियोजना, लखनऊ व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(17) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) अध्यक्ष एवं प्रशासक, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी/ परियोजना, लखनऊ द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(19) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग इसी वितीय वर्ष में कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(20) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व अध्यक्ष एवं प्रशासक, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी/ परियोजना, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(21) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(22) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(23) 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(24) प्रश्नगत परियोजना हेतु आगामी किश्तों की मांग अनुबन्ध गठित किये जाने के के उपरान्त ही की जायेंगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय कुल धनराशि रुपये 247.93 लाख (रूपये दो करोड़ सैतालीस लाख तिरानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 012 **लेखा शीर्षक** 2705008000104 मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमॉण्ड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (M-CADWM) योजना (के.60/रा.40-के.+रा.) के मद सं0-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-**E-1-121-X-2026-27-दिनांक:8-9-2026** में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
ओम प्रकाश
उप सचिव।

<u>संख्या एवं तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

3- उप सचिव, भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, (कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन विंग), कृषि भवन, नई दिल्ली।

4- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

5- विशेष सचिव/बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- अनु सचिव(लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- मुख्य वित्तीय सलाहकार, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना, लखनऊ।

9- निदेशक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ।

10- मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ/आगरा।

11- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।

13- नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

14- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।

15- गार्ड फाइल/सम्बन्धित सहायक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।